(6) आज्ञाकारिता की आदत न पड़ने के कारण बालक समाज के मूल्यों की उपेक्षा कर मनमानी करता है औरअपराध की तरफ अभिमुख हो जाता है।

(7) घर के अन्दर मनोवैज्ञानिक तनाव तथा संवेगयुक्त व्यवधान भी बालक को अपराधी बनाते हैं। घर के अन्दरभेदभाव, अस्वी.ति, असुरक्षा, रूखापन, चिड़चिड़ापन व कठोरता आदि स्थितियाँ बालक में मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं। ऐसे गृहों में तथा गृह के ऐसे पर्यावरण में बालक एक समस्यायुक्त बालक बनजाता है और वह अपराधिता की ओर उन्मुख हो जाता है।

(8) एक ही घर में रहने वाला एक बालक अपराधी बन सकता है तो दूसरा अनापराधी ही रह सकता है।वस्तुतः अपराधिता निर्भर करती है बालक के अन्तः में समाहित संस्कारों पर । अपराधिक मोड़ पर आकर भी एक बालक अपराधी नहीं बनता परन्तु दूसरा बन जाता है।

(9) कुछ अनुसंधानों के परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ है कि ऐसे बालक जिनके छोटे व बड़े भाई तो हैं, किन्तु बहनें नहीं हैं, वे अपराधोन्मुख होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत ऐसी बालिकाएँ जिनके भाई नहीं हैं, परन्तु बहने ही हैं अपराधोन्मुख नहीं होती हैं । बालकों की स्थिति यहाँ भी ठीक इसके विपरीत है । ऐसे बालक जिनके मात्र बहनें ही हैं, भाई नहीं हैं अपराधोन्मुख नहीं होते । भगिनी–विहीन बालिकाएँ जहाँ अपने भाइयों की अपराधिता सीखती हैं, वहीं भाई विहीन बालक अपनी बहनों की सदाचारिता सीखता है। स्लेटो महोदय ने अपने अध्ययन परिणामों से इस सम्बन्ध में यह भी निष्कार्ष निकाला है कि सामाजिक सम्बन्ध अपराधिता के प्रमुख कारण हैं।''

(10) कुछ अपराधशास्त्रियों ने यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि ''अकेला बालक'' (जैम वदसलबिपसक) अपराधिता की ओर उन्मुख होता है, किन्तु न्ये (छलम), वट्टेनवर्ग (जजमदइमतह) आदि लेखकों ने अपने अध्ययन परिणामों से यह निष्कर्ष निकाला है कि "अकेला बालक'' होना मात्र अपराधिाता का कारण नहीं है। यह किसी भी बालक की उस सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें रहकर वह अपराधिता का संसर्ग करता है।

संदर्भ सूची

1. Cyril Burt : The yong delingnent, Fouth Edition, University of London Pres,, London, 1944.
2. Sheldon and Eleanor + Glueck. : Five Hundred criminals careers, New York, 1930

दलित जातियाँ एवं सरकारी प्रयास

अनिता कुमारी*

भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा कुछ जातियों को अनुसूचित किए जाने के पहले इन जातियों को 'बाह्य' (म्गजमतपवत) या 'दलित' (क्मचतमेमक) माना जाता था। किसी भी जाति को बाह्य या दलित मानने का आधार सामाजिक अयोग्यता एवं उसपर लागू होनेवाले प्रतिबन्ध थे। 1931 की जनगणना में इनके लिए निम्नलिखित अंकित प्रतिबन्ध थे.– (1) ब्राह्मणों के सन्सर्ग से वर्जना, (2) हिन्दू उच्च जातियों की सेवा करनेवाले नाई, मिस्त्री, दर्जी आदि की सेवाओं से वंचित रखना (3) उच्च जाति के हिन्दुओं को पानी पिलाने पर प्रतिबन्ध, (4) हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध(5) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– मार्गों, नावों, कुओं या विद्यालयों आदि के उपयोग पर प्रतिबन्ध और (6) हेय या निकृष्ट पेशों से जुड़े रहने की बाध्यता।

संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव आम्बेडकर दलितों के अधिकारों के संघर्ष का अग्रणी नेता थे और दलितों के अधिकारों सम्बन्धी उनके सभी सुझावों को संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। आम्बेडकर ने आधुनिक में विशेषकर स्वतन्त्रता संघर्ष में अहम भूमिका अदा की। अनुसूचित जातियों ने व्यापक स्तर पर स्वतन्त्रता संघर्ष में लिया और शनैः–शनैः इस प्रक्रिया ने उन सुधारवादी आन्दोलनों का रूप धारण किया, जिन्होंने छुआछत की परम्परा तथा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होनेवाले शोषणों तथा दुर्व्यव्यहारों के विरुद्ध संघर्ष किया ।

भारतीय संविधान के लागू हो जाने के साथ ही अनुसूचित जातियों को कुछ सुनिश्चित अधिकार एवं लाभ प्राप्त हुए। अनच्छेद 341 (1) के तहत राज्य के राज्यपाल की सलाह से संविधान यह तय करेगा ''कौन–सी जातियों, जनजातियों अथवा जातीय या जनजातीय समूहों को संवैधानिक मकसद से अनुसूचित नहीं किया जा सकता।'' लेकिन अनुच्छेद 341 (2) के तहत संसद विधि पारित करके किसी भी जातीय समूह को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या उससे अलग कर सकती है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के नाते अनुसूचित जातियों को विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 46 के तहत यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पिछड़े वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के

***शोध छात्रा (समाजशास्त्र) मगध विश्वविद्यालय,बोध गया**

शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं अन्य सभी तरह के शोषणों से बचाए। संविधान की प्रस्तावना में ही अनुसूचित जातियों के प्रति पक्षधरता स्पष्ट कर दी गयी है।

संविधान के खण्ड 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान है। अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 17 समानता के अधिकारों से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात् देश में प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर सामाजिक या शैक्षणिक भेदभाव पर प्रतिबन्ध है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक सुविधाओं, दुकानों, भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे :–कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सार्वजनिक शरण स्थलों आदि के उपयोग की मनाही गैरकानूनी है। इसके तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगारों में समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसेवाओं में स्थान आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 17 में अनुसूचित जातियों के प्रति किसी भी रूप में छुआछूत को समाप्त करने की घोषणा करता है और छुआछूत का व्यवहार कानूनन जुर्म है जिसके तहत छुआछूत करनेवाले अपराधी को विधि के अनुसार दण्डित किया जायेगा । इसके लिए अपराधी को कैद और जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है। बाद में इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत इस कानून को और भी सख्त बना दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधि ानियम, 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम (The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया।

यह कानून एस.सी., एस.टी. वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों के अलावा इन जातियों के लोगों पर होनेवाले अत्याचार को रोकने के लिए 16 अगस्त, 1989 को उपर्युक्त अधिनियम लागु किए गए। वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम वि.ति का द्योतक है।

भारत सरकार ने दलितों पर होनेवाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत सम्बन्धी अपराधों के विरुद्ध दण्ड में वृद्धि की गयी है तथा दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले अपराध संज्ञेय, गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 से भारत में हो गया।

यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है तो कानूनन वह दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को छः माह से पाँच वर्ष तक की सजा, अर्थदण्ड (फाइन) के साथ प्रावधान हैं। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सज़ा है। अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठी गवाही देता है या गढ़ता है जिसका आशय किसी ऐसे में फंसाना है जिसकी सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास जुर्माने सहित है और इस झूठी गढ़ी हुई गवाही के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फाँसी की सजा दी जाती है तो ऐसी झूठी गवाही देनेवाले मृत्युदण्ड के भागी होंगे।

यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराता है जिसमें सजा सात वर्ष या उससे अधिक है तो वह जुर्माना सहित सात वर्ष की सजा से दण्डनीय होगा।

आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साध ारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डनीय होगा।

लोकसेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दण्ड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर वह

जानबूझ कर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता है तो वह दण्ड का भागी होता। उसे छः माह से एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगारों को आरक्षित करेगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा और अनुच्छेद 332 में राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याओं की जाँच के लिए आयोग गठित कर सकते हैं और तदनुसार उनके हल के निर्देश दे सकता है। यह आयोग संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत इन जातियों के विकास जो उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार उनके कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए भी अधि.त किए गए हैं, आकलन कर सकता है।

संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा के सन्दर्भ में आरक्षण नीति की चर्चा भी प्रासंगिक है। आरक्षण नीति का उद्देश्य एक निश्चित समय–सीमा के भीतर अनुसूचित जातियों को समाज में अन्य जातियों के सदस्यों के समकक्ष बनाना है। इसके तीन प्रमुख पहलू हैं :–

(1) सरकारी नौकरियों में आरक्षण,

(2) शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, और

(3) लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण।

इसके अलावा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों के स्कूली बच्चों के लिए कई अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के उपाय किए हैं, जैसे कि : (क) पुस्तकों का प्रावध ाान, (ख) शैक्षणिक आवश्यकता की अन्य सुविधाओं का प्रावधान, (ग) दोपहर के भोजन का प्रावधान, (घ) छात्रवृत्ति का प्रावधान, (ङ)स्कूली वर्दी ;न्दपवितउद्ध का प्रावधान आदि। सार्वजनिक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित होते हैं। इसी अनुपात में छात्रावासों में भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने कई छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया है।

लोकसभा में कुल 542 स्थानों में 79 स्थान और राज्यों की विधान सभाओं की 3,997 स्थानों में से 541 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित चुनाव–क्षेत्रों में इन जातियों की आबादी से 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बीच है। अनुसूचित जातियों के लगभग 75 प्रतिशत

लोग अन्य चुनाव–क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। अतः आरक्षित चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की सफलता प्रमुख रूप से अन्य जातियों के समर्थन पर निर्भर होती है। ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जातियों के लोगों में राजनीतिक चेतना का अभाव दिखता है और वे प्रायः जातीय राजनीति के प्रभाव में आ जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की स्थिति अपेक्षा.त बेहतर है। लेकिन आरक्षण नीति एवं अन्य विकास कार्यक्रमों के बावजूद इस समूह के लोगों का पिछड़ापन दूर नहीं हो सका है। जाति और वर्ग का गठबन्धन इतना मजबूत है कि खास जातियों के लोगों को ही सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता प्राप्त हो पाती है। इससे आरक्षण नीति अनुसूचित जातियों के विकास के संवैधानिक प्रयासों के उद्देश्य की सफलता काफी हद तक सीमितहो जाती है।

संवैधानिक सुविधाओं एवं प्रावधानों का वास्तविक लाभ सार्वजनिक जरूतरमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। छोटी–से–छोटी संवैधानिक सुविधा के लिए भी उन्हें घूस देनी पड़ती है। गरीबी हटाने एवं रोजगार बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कई संवैधानिक प्रावधान हैं। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र और राज्यों की सरकारों के लिए बाध्यकारी है। हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र निकाय में भी आरक्षण के प्रावधान लागू किए जाने लगे हैं।

संदर्भ सूची :

1. Singh, K.S. (1999) : Scheduled Castes, People of India series, Vol., Oxford University, Press, New Delhi.
2. Moffat, M., : An Untouchable, community in South India, Princeton University Press, Princeton, 1979.